

प्रशासनिक समस्याएँ तथा प्रशासनिक सुधार

कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था अपने आप में पूर्णतया समस्याविहीन नहीं होती है बल्कि मानवीय व्यवहारों एवं अन्य तत्वों की उपस्थिति के कारण नाना प्रकार की समस्याएँ संगठनों को घेरे हुए रहती हैं। कुछ समस्याएँ आंतरिक कारणों से तो कतिपय बाधाएँ बाह्य वातावरण से उत्पन्न होती हैं। भारत में लोक प्रशासन के समक्ष उपस्थित समस्याओं तथा न्यूनताओं की सूची अत्यन्त विशद् है लेकिन यहाँ कुछ ही समस्याओं को वर्णित किया जा रहा है।

सामान्यज्ञ-विशेषज्ञ विवाद

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत है जिसमें आधुनिक लोक सेवाओं का ढाँचा भी एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। प्रशासनिक कार्यों को व्यावहारिक स्तर पर मूर्तरूप देने में वरिष्ठ अधिकारियों तथा क्षेत्रीय स्तर के तकनीकी कार्मिकों की समान भूमिका है। भारत में सामान्यज्ञ (जनरेलिस्ट) तथा विशेषज्ञ (स्पेशलिस्ट) अधिकारियों के मध्य विवाद अपने आप में एक विचित्र तथा गंभीर समस्या है। भारत में इस विवाद के बीज ब्रिटेन की "नार्थकोट-ट्रोविलियन रिपोर्ट" (1853) तथा 1854 की "मैकाले रिपोर्ट" में बोये गये थे। इन दोनों प्रतिवेदनों में यह कहा गया था कि 18 से 22 वर्ष आयु के सामान्य शिक्षा प्राप्त योग्य एवं होनवार उम्मीदवार ही लोक सेवाओं का समुचित आधार बन सकते हैं। इसी दर्शन पर आई.सी.एस. सेवाएँ शुरू हुई थीं जो अब आई.ए.एस. कहलाती हैं। इन सेवाओं के अधिकारी उच्च प्रस्थिति, उच्च वेतनमान तथा अधिकार सम्पन्न होते थे जो प्रशासनिक कार्यों को दृढ़तापूर्वक सम्पादित करने में निपुण किये जाते थे। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने यही प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाये रखा जबकि तकनीकी क्षेत्र जैसे— शिक्षा, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य ऊर्जा इत्यादि में आमूल परिवर्तन होने लगे। इन विशेषज्ञ क्षेत्रों में देश की प्रतिभाएँ आकर्षित हुई क्योंकि पंडित नेहरू ने आह्वान किया था कि "भारत को तीव्र गति से विकास करने के लिए डॉक्टर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए और अन्य विशेषज्ञ चाहिए जो देश की किस्मत पलट सकें।" ऐसी स्थिति में भारत की लोक सेवाओं में विशेषज्ञों का बहुतायत में प्रवेश हुआ साथ ही प्रशासनिक सेवाओं के योग्य अधिकारियों का वर्चस्व बना रहा।

परम्परागत प्रशासनिक ढाँचे में आई.ए.एस. तथा अन्य सामान्यज्ञों की स्थिति उच्च ही बनी रही अर्थात् विभागों या मंत्रालयों के सचिव पद इन्हीं के लिए थे। जो योग्य तथा कुशल विशेषज्ञ अधिकारी डॉक्टर, वैज्ञानिक या प्राध्यापक के रूप में लोक सेवाओं में आये, वे इन सामान्यज्ञ अधिकारियों के अधीन मन मसोस कर कार्य करते रहे।

सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञों का वर्गीकरण सभी देशों में नहीं है। ब्रिटेन में भी सामान्यज्ञों का वर्चस्व कम हो चुका है। ब्रिटेन की फुल्टन समिति (1966-68) ने “अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शासन में विशिष्ट पदों पर कार्य करने वालों को ‘विशेषज्ञ’ माना था तथा प्रशासकीय एवं कार्यपालक श्रेणियों से सम्बद्ध कर्मचारियों को ‘सामान्यज्ञ’ कहा था।” भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में सेवीवर्ग प्रशासन पर आयोजित सम्मेलन में सामान्यज्ञों को इस प्रकार परिभाषित किया गया था—“ऐसे मेधावी नवयुवक/युवती जिन्होंने विद्यालय में किसी विषय में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करके, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा किसी सेवा में चयनित होकर प्रशासनिक प्रशिक्षण पाया हो तथा बाद में उन्हें उच्च स्तरीय निरीक्षणात्मक पदों पर नियुक्त किया गया हो जहाँ कोई अनिवार्य तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता निर्धारित नहीं है। ये अधिकारी अनुभव तथा प्रशिक्षण का लाभ उठाकर उच्च प्रशासकीय पदों पर नियुक्त होते हैं तथा सामान्यज्ञ कहलाते हैं। इसी प्रकार विशेषज्ञ अधिकारी वे हैं जो किसी पद पर निर्धारित अनिवार्य तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता के कारण भर्ती हुए हैं तथा ये पद मध्य स्तरीय निरीक्षणात्मक प्रकृति के हैं।”

अतः यह कहा जा सकता है कि सामान्य अधिकारी बिना किसी विशेष आधार या पृष्ठभूमि के वे प्रशासक हैं जिन्हें किसी भी विभाग में आसानी से स्थानान्तरित किया जा सकता है। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी या राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी इत्यादि। विशेषज्ञ अधिकारी तकनीकी क्षमता एवं योग्यता प्राप्त होते हैं तथा किसी क्षेत्र या विभाग विशेष से ही सम्बद्ध होते हैं। जैसे— प्राध्यापक, चिकित्सक, वकील, वास्तुकार, अभियंता इत्यादि। सामान्यज्ञ-विशेषज्ञ अधिकारियों के मध्य का अन्तर निम्न सारिणी में स्पष्ट किया गया है। कई बार सामान्यज्ञों को “ब्यूरोक्रेट” तथा विशेषज्ञों को “टेक्नोक्रेट” भी कहा जाता है—

सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों में अन्तर

क्र. सं.	आधार	सामान्यज्ञ	विशेषज्ञ
1.	कार्य	ये अधिकारी मुख्यतः प्रशासन तथा प्रबन्ध के सामान्य कार्यों यथा— नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन इत्यादि कार्य करते हैं।	विशेषज्ञ अधिकारी मुख्यतः तकनीकी कार्य सम्पादित करते हैं जो इनकी विशिष्ट योग्यताओं से सम्बद्ध होता है।

2.	शैक्षणिक योग्यताएँ	सामान्यतः विश्वविद्यालय स्तर की स्नातक या अधिस्नातक स्तर की शिक्षा किसी भी विषय (अनुशासन) में प्राप्त होते हैं।	ये विशिष्ट प्रकार की तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं।
3.	कार्य क्षेत्र	किसी भी विभाग में प्रशासनिक कार्यों पर लगाया जाता है। अतः क्षेत्र विस्तृत है।	इनका कार्य क्षेत्र तकनीकी प्रकृति का है जो सीमित रूप से किसी विभाग/क्षेत्र विशेष से सम्बद्ध रहता है।
4.	प्रस्थिति	सामान्यज्ञों की प्रस्थिति (स्टेट्स) उच्च स्तरीय है।	सामान्यज्ञों की तुलना में विशेषज्ञों का दर्जा निम्न है।
5.	वेतनमान	उच्च पदों पर होने के कारण इनको वेतन एवं सुविधा अधिक प्राप्त है।	विशेषज्ञों का वेतनमान कम रहता है।
6.	नीति निर्धारण	सामान्यज्ञ विभाग के प्रमुख होने के कारण मंत्रियों को नीति तथा विधि निर्माण में सहायता करते हैं।	विशेषज्ञों का मुख्य कार्य नीति तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है।
7.	प्रशासनिक संगठन	मुख्यतः सचिवालय व्यवस्था के अंग हैं।	मुख्यतः निदेशालय तथा कार्यकारी संस्थाओं के अंग हैं।
8.	उदाहरण	भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी इत्यादि।	वैज्ञानिक, चिकित्सक, अभियंता, प्राध्यापक, वकील इत्यादि।

विवाद

भारत में सामान्यज्ञ-विशेषज्ञ विवाद ने स्वतंत्रता के पश्चात् अधिक तूल पकड़ा है। ऐसे बहुत-से प्रकरण सामने आए हैं जिनमें किसी विभाग विशेष के सचिव या संयुक्त सचिव ने अपने अधीनस्थ या समकक्ष विशेषज्ञ अधिकारी की राय या परामर्श को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया अथवा इन दोनों अधिकारियों के मध्य किसी विषय पर गंभीर मतभेद पैदा हुआ। उच्च प्रस्थिति तथा नीति निर्धारण सत्ता के कारण सामान्यज्ञ, एक विशिष्ट अहं से ग्रस्त हैं तो विशेषज्ञ अधिकारी भी अपने तकनीकी ज्ञान के कारण किसी अन्य सामान्य व्यक्ति का हस्तक्षेप सहज स्वीकार नहीं करते हैं। हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक श्री अरविंद कुमार ने अपने पद से इस्तीफा केवल इस आधार पर दे दिया कि शिक्षा विभाग के सामान्यज्ञ अधिकारी श्री अरविंद के परामर्श तथा योजनाओं को पर्याप्त सम्मान नहीं देते थे। इसी प्रकार नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक बनने के उपरान्त ट्रस्ट ने पुस्तकों की बिक्री में 27 प्रतिशत वृद्धि की तथा प्रतिष्ठा प्राप्त की लेकिन इतनी कार्यकुशलता के बावजूद भी श्री अरविंद कुमार को बार-

बार कार्यकाल बढ़वाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कहना पड़ता था। कई बार तो उपसचिव स्तर का अधिकारी इनसे बात करने से मना कर देता था।²

विशेषज्ञ अधिकारी संवेदनशील तथा पद के साथ विशिष्ट आत्मीयता रखने वाले होते हैं। सन् 1972 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डॉ. विनोद शाह ने कामकाज सम्बन्धी कारणों से आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पूर्व लिखे एक पत्र में उन्होंने आरोप लगाया था कि संस्थान में अनुसंधान सम्बन्धी आँकड़े झूठमूठ गढ़े जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, संस्थान के वैज्ञानिकों का दावा था कि गेहूँ की सोनारो-64 किस्म में विकिरण के जरिए लाइसीन नामक अमीनो अम्ल की मात्रा काफी बढ़ जाती है परन्तु इस बात की पुष्टि कभी न हो सकी।³ यह संवेदनशीलता सामान्यज्ञों में नहीं पायी जाती है। इसी कारण विवाद की स्थिति अधिक बढ़ती है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के कार्मिक निदेशक पद पर आई.ए.एस. एवं पी.सी.एस. अधिकारियों की नियुक्ति के समय उत्तरप्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन ने काफी विरोध किया था तथा सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों का विवाद खुलकर सड़क पर आ गया था।⁴ बहुत-से वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियर तथा शिक्षाविद्, सामान्यज्ञों के विरुद्ध अपनी व्यथा प्रकट कर चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि—

- (1) सामान्यज्ञों को प्राप्त पदोन्नति, वेतन एवं सुविधाएँ अधिक हैं जो विशेषज्ञों को प्राप्त नहीं हैं।
- (2) बिना किसी तकनीकी ज्ञान के सामान्यज्ञ, नीति एवं कार्यक्रम बनाते हैं तथा विशेषज्ञों को कार्यान्वित करना पड़ता है।
- (3) सामान्यज्ञों का व्यवहार निरंकुश नौकरशाहों जैसा है जो ब्रिटिश काल की छाप लिए हुए है।
- (4) विशेषज्ञों के लिए निर्धारित पदों पर भी सामान्यज्ञों का वर्चस्व है।
- (5) सामान्य अधिकारी (जैसे—जिलाधीश) विशेषज्ञ अधिकारियों को अधीनस्थ मानकर व्यवहार करते हैं।

सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ अधिकारियों का पक्ष निम्न सारिणी में स्पष्ट किया गया है।

सामान्यज्ञ-विशेषज्ञ विवाद (पक्ष में तर्क)

क्र. सं.	सामान्यज्ञों के तर्क	विशेषज्ञों के तर्क
1.	आज प्रशासन संचालित करना एक कला या विशेषज्ञता है जो सामान्यज्ञों का व्यवसाय हो चुका है।	प्रशासन की सामान्य क्रियाएँ तो विशेषज्ञ भी भलीभाँति संचालित कर सकते हैं।
2.	विभिन्न विभागों में कार्य करने से सामान्यज्ञों का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है जबकि विशेषज्ञ संकीर्णता से ग्रस्त रहते हैं।	विशेषज्ञों को अवसर मिले तो वे भी अपनी क्षमताएँ सिद्ध कर सकते हैं।

3. नीति निर्माण, विधि तथा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना एक जटिल कार्य है जो सामान्यज्ञ ही कर सकते हैं।

विशेषज्ञ अधिकारी तकनीकी बारीकियाँ भलीभाँति समझते हैं अतः वे ही नीति या कार्यक्रम निरूपण में सार्थक भूमिका निभा सकते हैं।

4. विकासशील अर्थव्यवस्था में सामान्यज्ञ अधिकारी प्रशासनिक नियंत्रण तथा प्रतिबद्धता सिद्ध करते हैं।

विकासशील अर्थव्यवस्था में तकनीकी ज्ञान तथा कौशल को व्यावहारिक स्तर पर उतारना अधिक जरूरी है अतः उन्हें मौका मिलना चाहिए।

5. प्रशासन में निर्णय क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है जो सामान्यज्ञों का सर्वसिद्ध कौशल है।

आदेश देना मात्र निर्णय क्षमता नहीं कहला सकता, इसकी तकनीकी उपादेयता भी होनी चाहिये जो विशेषज्ञ ही सिद्ध कर सकते हैं।

6. सामान्यज्ञ प्रायः उदार तथा निष्पक्ष रवैया अपनाते हैं जबकि विशेषज्ञ अपने विभाग/शाखा विशेष पर मोहित रहते हैं।

आज का युग सूक्ष्म तथा सामान्य से विशेषीकरण की ओर है अतः विशेषज्ञता को संकीर्णता कहना उपयुक्त नहीं है।

7. सामान्यज्ञों की श्रेष्ठ स्थिति एक परम्परा के रूप में चली आ रही है। भारत का सम्पूर्ण विकास सामान्यज्ञों की क्षमता का परिचायक है।

युग परिवर्तन के इस दौर में समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जहाँ तक विकास की भूमिका का प्रश्न है वह तकनीकी क्षमताओं से संभव हुआ है।

8. विशेषज्ञ तो केवल व्यवस्था या कार्य विशेष में प्रशिक्षण प्राप्त हैं।

सामान्यज्ञों को भी परम्परागत नियामकीय कार्य प्रशिक्षण दिया जाता है जो विकास प्रशासन के उपयुक्त नहीं है।

9. श्रेष्ठ नीति निर्माण पर सामान्यज्ञ अधिकारी, विशेषज्ञों का कार्य सरल करते हैं।

बहुधा अविचारित नीति तथा थोपा हुआ आदेश प्राप्त होता है।

10. सामान्यज्ञ विशेषज्ञों में मेधावी उम्मीदवार कठिनतम योजना परीक्षण से आते हैं जो समाज की "बौद्धिक क्रीम" है।

अधिकांश मेधावी तथा प्रतिभावान उम्मीदवार तो किशोरावस्था के बाद ही विशेष-प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए चले जाते हैं जहाँ 5-6 वर्ष व्यतीत करते हैं।

सामान्यज्ञ अधिकारियों के पक्ष में बोलते हुए राबर्ट डूबिन ने कहा है—“नीति सम्बन्धी निर्णय लेने में विशेषज्ञ तो एकदम अनुपयुक्त हैं।” इसी प्रकार हेरोल्ड लास्की ने कहा है—“प्रशासनिक निर्णय लेने में विशेषज्ञों की अपनी सीमाएँ हैं। ये अधिकारी अपने तकनीकी ज्ञान को ग्रहण करते समय “सामान्य ज्ञान” की बलि चढ़ा देते हैं।” भारत में भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण उपलब्ध हैं जब विशेषज्ञ अधिकारी प्रशासनिक कार्यकलापों में असफल

सिद्ध हुए हैं, किन्तु इसका कारण प्रशिक्षण की कमी है। सामान्यज्ञ अधिकारी तो प्रशासकीय कार्यों में ही प्रशिक्षित किये जाते हैं अतः उनकी कार्यक्षमता असंदिग्ध है। प्रशिक्षण की कमी के कारण ही विशेषज्ञ अधिकारी संगठन में मानवीय सम्बन्धों तथा सामान्य प्रक्रियाओं को सहज भाव से नहीं ले पाते हैं। उदाहरण के लिए एक चिकित्सक वर्षों तक रोगियों की चिकित्सा करके वरिष्ठता के आधार पर जब प्रशासनिक पद (सी.एम.ओ.) ग्रहण करता है तो वह स्वाभाविक रूप से अधीनस्थ डॉक्टर्स तथा नर्सों के साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे रोगियों के साथ करता था। इसी प्रकार वर्षों तक व्याख्याता पद पर रहते विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला शिक्षक जब महाविद्यालय का प्राचार्य बनता है तो वह प्रशासनिक कौशल दिखाने की अपेक्षा साथी व्याख्याताओं को विद्यार्थी समझ कर निर्देश देता है। ये सब कमियाँ प्रशिक्षण की हैं। यदि तकनीकी योग्यता प्राप्त तथा तकनीकी कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रशासकीय पद दिया जाये तो उसे मूलभूत प्रशासनिक संरचना, संगठन, प्रक्रिया, नेतृत्व, निर्णय क्षमता, नियंत्रण तथा मानव संबंधों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

भारत में अनेक विशेषज्ञ अधिकारियों जैसे—होमी जहाँगीर भाभा, वर्गिस कूरियन, एच.एस. सेठना, डी.एस. कोठारी, एम.एस. स्वामीनाथन तथा राजा चलैया इत्यादि ने कुशल प्रशासनिक संचालन का परिचय दिया है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विशेषज्ञ प्रशासकीय कार्यों में सफल नहीं हो सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गाँधी, राजीव गाँधी तथा राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सहित अनेक राजनेता विशेषज्ञ अधिकारियों के पक्ष में रहे हैं फिर भी विवाद का यथोचित निपटारा नहीं हो पाया है। विगत कुछ वर्षों से यद्यपि स्थिति में परिवर्तन आने लगा है तथापि विशेषज्ञ-सामान्यज्ञ सम्बन्ध मधुर नहीं कहे जा सकते हैं। राजस्थान में सन् 1981 में तकनीकी विभागों के शीर्षस्थ पदों पर विशेषज्ञों को नियुक्ति देने की परम्परा शुरू हुई जिसमें सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई तथा जलदाय विभाग के सचिव पदों पर वरिष्ठ अभियंता काबिज हुए। विशेषज्ञों को प्राप्त यह उच्च स्थिति सामान्यज्ञों राजनीतिज्ञों को प्राप्त नहीं आयी और 1997 आते-आते इन विभागों के सचिव पदों पर पुनः सामान्यज्ञ अधिकारी नियुक्त हो गए हैं। इस प्रकार विशेषज्ञ अधिकारी पुनः आन्दोलन की राह पर अग्रसर हो रहे हैं।

सुझाव—भारत में सामान्यज्ञ-विशेषज्ञ विवाद को समूल तथा शीघ्र समाप्त करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक संशोधन करना पड़ सकता है जो वर्तमान परिस्थितियों में यकायक संभव नहीं है। इसलिए शनैः-शनैः विशेषज्ञों को समानता का दर्जा देना ही एक सरल उपाय है। कुछ सुझाव निम्न हैं—

1. **पदसोपान व्यवस्था परिवर्तन—**विश्व के सभी देशों में एक समान पदसोपान व्यवस्था नहीं है। कुछ व्यवस्थाएँ निम्न हैं जो विचारणीय हैं—

(1) **पृथक् पद सोपान—**इस प्रणाली में विशेषज्ञ को अधिक मान्यता प्राप्त होती है। वेतनक्रम दोनों का समान होता है किन्तु पदसोपान व्यवस्था पृथक्-पृथक् होती है, जैसे—जर्मनी, स्वीडन तथा आस्ट्रेलिया में है।

(2) **समान्तर पद सोपान—**इस व्यवस्था में पदसोपान तो दोनों के पृथक्-पृथक् होते हैं किन्तु दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे— महानिदेशक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विभाग के सचिव के साथ कार्य करे।

(3) संयुक्त पद सोपान—इस प्रणाली में एक वरिष्ठ सामान्यज्ञ के अधीन एक सामान्यज्ञ तथा एक विशेषज्ञ अधिकारी साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार दो विपरीत विचारधाराओं वाले व्यक्ति सामंजस्य बैठते हैं, जैसे स्वास्थ्य सचिव के अधीन निदेशक (स्वास्थ्य) तथा उपसचिव कार्य करें।

(4) एकीकृत पदसोपान—इस प्रणाली में सभी पृथक्-पृथक् सेवाएँ तथा संवर्ग एक ही जगह एकीकृत कर दिये जाते हैं। एक जैसी भर्ती, एक जैसा वेतनमान तथा समान सेवा शर्तें हो जाती हैं। 20 अगस्त, 1973 से यह व्यवस्था पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है जहाँ प्रत्येक पद सम्बन्धी कार्य की योग्यता या ज्ञान का निर्धारण किया हुआ है। इसी आधार पर भारत में भी "भारतीय संघ सेवा" (आई.यू.एस.) के गठन का सुझाव दिया जाता है।

2. यह निर्धारित कर दिया जाए कि किस विभाग का प्रधान अधिकारी सामान्यज्ञ होगा तथा किसका विशेषज्ञ। तकनीकी प्रकृति के विभागों के प्रमुख विशेषज्ञ ही बनें जैसा कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष वैज्ञानिक होता है।
3. कुछ गैर अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है जो तकनीकी पदों जैसे चिकित्सा, शिक्षा, कृषि से सम्बन्धित हों।
4. विशेषज्ञ तथा सामान्यज्ञ अधिकारियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा सकती है।
5. ऐसी भी पदोन्नति व्यवस्था की जा सकती है कि विशेषज्ञ अधिकारी बिना प्रशासकीय पद ग्रहण किये अपने क्षेत्र में उस वेतनमान स्तर तक पहुँच जाएँ जहाँ सामान्यज्ञ होता है।
6. सचिवालय तथा निदेशालय व्यवस्था को एकीकृत कर देना चाहिए।
7. निदेशालय, सचिवालय के साथ एकीकृत न हो सकें तो निदेशक को पदेन संयुक्त सचिव (सचिवालय) में बनाया जाए ताकि समन्वय स्थापित हो सके।
8. सामान्यज्ञ अधिकारियों को परिवर्तित परिवेश में स्वयं को ढालना होगा जहाँ समानता तथा भाईचारा एक आधारभूत सिद्धान्त है।

इस प्रकार भारत में सामान्य-विशेषज्ञ विवाद समाप्त किया जा सकता है जो देश की चहुँमुखी प्रगति में बाधक बना हुआ है।

मंत्री-लोक सेवक विवाद

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था सैद्धान्तिक रूप से बहुत आदर्शवादी तथा सुदृढ़ दिखाई देती है किन्तु व्यावहारिक स्तर पर इस लोकतांत्रिक एवं लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था में अनेक व्याधियाँ व्याप्त हैं। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकारी विभागों के मंत्री बनाए जाते हैं। मंत्री महोदय को प्रशासनिक तथा अन्य प्रबन्धकीय सहायता तथा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए, प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी "सचिव" के रूप में नियुक्त रहते हैं। अधिकांशतः भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी ही विभागों या मंत्रालयों के सचिव बनाये जाते हैं। अपने दीर्घ प्रशासनिक अनुभवों तथा कार्यकौशल से ये अधिकारी, राजनीतिक मंत्री को मंत्री पद के दायित्व निर्वहन करने में सहायता करते हैं। जब मंत्री तथा सचिव (लोक सेवक) दोनों की विचारधारा समान होती है